स्वच्छ भारत

कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781–252216, 252215 (फैक्स) 252211
Email : fonarainpur.cg@nic.in

–:: नीलामी निविदा आमंत्रण ::–

क्रमांक/358/खाद्य/नी.नि./जप्त स्कं./2019–20 नारायणपुर, दिनांक 19/03/2020

संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक/9327/खाद्य–संचा/2020 अटल नगर, दिनांक 06.01.2020 द्वारा नारायणपुर जिले में जप्तशुदा खाद्यान्न के निराकरण निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा 3/7 उल्लघंन अंतर्गत जप्तशुदा शासकीय पैकेट युक्त चना में से मानवीय अनुपयोगी 15 बोरा, वजन 7.50 क्विंटल चना हैं, जिस स्थिति में हैं, को विक्रय किए जाने हेतु मोहरबंद निविदाएं दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिवस दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को निविदा समिति के समक्ष अपरान्ह 04:00 बजे खोली जाएगी। नीलामी युक्त चना का अवलोकन कार्यालयीन समय पर मार्केटिंग सोसायटी, बंगलापारा, जिला नारायणपुर में किया जा सकता हैं।

क्रं.	शक्कर का प्रकार	ऑफसेट मूल्य (रूपये)	धरोहर राशि (रूपये)
1.	**जप्तशुदा चना, 7.50 क्विंटन** (मानवीय उपयोग योग्य नहीं)	रू. 2500 प्रति क्विं. (दर + 5% GST)	1500.00

नोट :– उक्त निविदा की नियम व शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी रूपये 200.00 (पांच सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान कर दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक अपरान्ह 02 बजे तक किसी भी शासकीय दिवस में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला नारायणपुर, के कक्ष क्रमांक–97 से प्राप्त की जा सकती है। एवं निवदिा संबंधी किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्यालय कलेक्टर, नारायणपुर की वेबसाइट www.narayanpur.gov.in में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तो में या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नही की जाएगी, मात्र उक्त वेबसाइट में विज्ञापन जारी की जावेगी।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि यह बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त कर सकती है।
2. इच्छुक निविदाकर्ताओं से उनकी मोहरबंद निविदाए कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ में दिनांक 02.04.2020 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी, निविदाए दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं तथा कलेक्टर, जिला नारायणपुर द्वारा गठित समिति उसी दिवस दिनांक 02 अप्रैल, 2020 अपरान्ह 04.00 बजे निविदाएं खोली जाएगी।
3. जप्तशुदा अनुपयोगी चना के लिए मुहरबंद लिफाफे में स्वीकार की जाएगी। लिफाफे पर निविदा एवं जप्तशुदा अनुपयोगी चना के लिए निविदा दी जा रही लिखना आवश्यक होगा।
4. जिस सफल निविदाकार की निविदा स्वीकार की जावेगी, उन्हे तत्काल संबंधित नीलामी राशि की 100 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक होगा तथा जप्तशुदा मानवीय अनुपयोगी चना को जहॉ जैसी हालत में है, तुरंत उठाना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला खाद्य अधिकारी, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के नाम से, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक, जिसकी शाखा नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।
6. धरोहर राशि को नीलामी कार्यक्रम सम्पन्न होने पर, समस्त निविदादाता को उक्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक लौटा दिया जावेगा।
7. उच्चतम निविदा राशि वाले सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समय पर जप्तशुदा मानवीय अनुपयोगी चना को नही उठाने की स्थिति में द्वितीय/तृतीय क्रम के सफल निविदाकार को चना प्रदाय करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. निविदा सील बंद लिफाफा में कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ को संबांधित कर जमा कि जावेगी, लिफाफे के ऊपर ''जप्तशुदा मानवीय अनुपयोगी चना हेतु निविदा'' अंकित किया जावे।
9. अधिकतम निविदादाता को नियमानुसार जी.एस.टी. स्वयं ही जमा करवा कर रसीद 30 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. प्रस्तुत करने पर ही निविदा खोलने की निर्धारित निधि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी हुई मानी जावेगी।
11. उच्चतम निविदादाता को स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं निवास स्थान से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में जमा करने के उपरांत ही नीलाम की गई सामाग्री सुपुर्द किया जावेगा।
12. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाएँ स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला नारायणपुर को रहेगा एवं किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी प्रकार के पोस्टल विलम्ब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
13. निविदाकार जिला नारायणपुर की वेबसाईट https://narayanpur.gov.in/ से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा में भी भाग ले सकेंगे तथा ऐसे निविदाकरों को उपरोक्त पैरा 1 में किये गये उल्लेख के अनुसार निविदा के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 200.00 (दो सौ रूपये मात्र) का रसीद कार्यालय से प्राप्त कर निविदा प्रस्तुत करते समय जमा करना होगा।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय कलेक्टर, (खाद्य शाखा) जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781–252216, 252215 (फैक्स) 252211
Email : fonarainpur.cg@nic.in

–:: जप्तशुदा मानवीय अनुपयोगी चना के विक्रय हेतु ::–

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य :– **रू. 200.00 (दो सौ रूपये मात्र)**
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि, समय :– .....
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, सयम :– .....
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– .....

निविदाकर्ता द्वारा भरा जावेगा

1. निविदा प्राप्तकर्ता का नाम :– .....
2. रूपये ..... मात्र का रसीद क्रमांक :– .....
3. निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ़ एवं समझ लिये गये हैं, तथा मुझे स्वीकार है।
4. जमानत राशि हेतु रूपये ..... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक .....
5. मैं अपनी ओर से क्रय मूल्य निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

जप्त चना 7.50 क्विंटल (मानवीय अनुपयोगी)	रूपये अंको में ..... रूपये शब्दो में .... (5% जी.एस.टी.सहित)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पूरा पता .....
.....
.....
दूरभाष/मोबईल नंबर.....